



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 447]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31, 2019/माघ 11, 1940

No. 447]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2019/MAGHA 11, 1940

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.आ. 560(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जहां तक कि वे कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के निरसन से संबंधित हैं, 30 जनवरी, 2019 को वह तारीख नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 465 (जहां तक कि उनका संबंध कंपनी रजिस्ट्रीकरण (सिक्किम) अधिनियम, 1961 (सिक्किम, 1961 का 8) को निरस्त करने का संबंध है, उसके सिवाय) के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा.सं. 1/1/2019-सीएल-1]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2019

S.O. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 30th January, 2019 as the date on which the provisions of section 465 of the said Act in so far as they relate to the repeal of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) [that in except in so far as they relate to the repeal of the Registration of Companies (Sikkim) Act, 1961 (Sikkim Act 8 of 1961)] shall come into force.

[F. No. 1/1/2019-CL.I]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.